686वीं–पार्ट–2 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 686वीं–1 बैठक दिनांक 04/10/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 10235/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Mowad Sand Quarry in an area of 4.202 ha. (63030 cum per year) (Khasra No. 209/1), Village- Mowar, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 675वीं बैठक दिनांक 08/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 150 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान बावनथड़ी नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा हुआ है एवं 150 मीटर पर 355 मी. लंबा रोड़ ब्रिज है,जो मेजर ब्रिज की श्रेणी

में आता है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है।

- बालाघाट के डीएसआर का अध्यन में पाया गया कि खदान में 03 मी. गहराई दर्शाई गई है, तथा 03 मीटर के आधार पर मात्रा निकाली गई है, जबकि स्वीकृत माईनिंग प्लान में 02 मी. गहराई दर्शाई गयी है जिसके आधार पर मात्रा का आंकलन किया गया है। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माईनिंग अधिकारी, जिला अध्यक्ष के संज्ञान में उक्त भिन्नता लाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा तदानुसार डीएसआर/माईनिंग प्लान में संशोधन किया जावे।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 7281/2020) में दिनांक 5/04/2020 को रेत की मात्रा 65,000 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, तत्समय में ब्रिज की जो स्थिति थी, वहीं स्थिति आज भी परिलक्षित होती है।
- जिला माईनिंग अधिकारी उपरोक्तानुसार डीएसआर में आवश्यक संशोधन कर सिया को प्रस्तुत करेगे।

समिति ने पाया कि सेक की 675 वीं बैठक दिनांक 08/11/2023 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

2. Case No 10226/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Jaramohgaon Sand Quarry in an area of 4.30 ha. (64500 cum per year) (Khasra No. 457), Village-Jaramohgaon, Tehsil-Katangi, District-Balaghat (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 450 मीटर पर एक 180 मीं लबाई का रोड़ ब्रिज है जो मेजर श्रेणी में आता है, निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान चंदन नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, एवं 450 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.99 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.30 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।

- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया एवं पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति दी जा सकती है। चूँकि खनन् क्षेत्र सीमा से निकटतम ब्रिज 450 मी दूरी पर है।

- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 7045/2020,) में दिनांक 20/06/2020 को रेत की मात्रा 96750 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति सिया द्वारा जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 63030 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 63030 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की 673 वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

3. <u>Case No 10228/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Chhindlai Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 21/1), Village-Chhindlai, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 453 मीटर पर एक 280 मी. लंबाई का पक्का रोड़ ब्रिज स्थित है, सेंड गाईड लाईन नियम 2020 के अनुसार निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है, एंव एवं 453 मीटर पर 280 मी लंबा रोड़ ब्रिज है, जो मेजर श्रेणी में आता है। अल्प भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 1.80 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.70 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।

समिति ने पाया कि सेक की 673 वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

4. Case No 10241/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Gajpur Sand Quarry in an area of 4.900 ha. (29400 cum per year) (Khasra No. 208), Village Gajpur, Tehsil Khairlanji District Balaghat (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 675वीं बैठक दिनांक 08/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 360 मीटर पर एक पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम

मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान चंदन नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है 360 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है, आशिंक भाग पानी डूबा एवं रोड़ ब्रिज होने कारण 1.96 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.94 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण क्रमांक 7038 में दिनांक 06/06/2020 को रेत की मात्रा 44,100 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति सिया द्वारा जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 29,400 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 29,400 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की 675 वीं बैठक दिनांक 08/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

5. **Case No 10230/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Dadia Sand Quarry in an area of 4.900 ha. (31260 cum per year) (Khasra No. 397), Village-Dadiya, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 453 मीटर पर एक पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है, अल्प भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 2.81 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.08 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया एवं पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति दी जा सकती है। चूँकी खनन् क्षेत्र सीमा से निकटतम ब्रिज 708 मी दूरी पर 440 मी. लंबाई का ब्रिज है जो मेजर श्रेणी में आता है तथा जों उत्तर दिशा में स्थित है।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 7056/2020) में दिनांक 06/06/2020 को रेत की मात्रा 29697 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति सिया द्वारा जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा **31260** घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। डीएसआर अनुसार उत्पदान क्षमता माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–88,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 31,260 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । अतः पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 31,260 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की 673 वीं बैठक दिनांक 01/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

6. <u>Case No 10227/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Dhapera Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (16000 cum per year) (Khasra No. 957), Village-Dhapera, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 342 मीटर पर एक मेजर श्रेणी का पक्का रोड़ ब्रिज है जिससे सेंड माईनिंग गाईडलाईन नियम 2020 के अनुसार निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है एवं 342 मीटर पर 407 मी. लंबाई का ब्रिज है जो मेजर श्रेणी में आता है। भाग पानी डूबा होने

के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 0.80 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.20 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।

- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया एवं पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति दी जा सकती है। चूँकी खनन् क्षेत्र सीमा से निकटतम 342 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है।

- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 7090/2020) में दिनांक 06/06/2020 को रेत की मात्रा 28500 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति सिया द्वारा जारी की गई थी। डीएसआर अनुसार उत्पदान क्षमता माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–36,000घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16000 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 16000 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की 673 वीं बैठक दिनांक 01/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

7. **Case No 10268/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Khapa Sand Quarry in an area of 1.458 ha. (17492 cum per year) (Khasra No. 345/1), Village-Khapa, Tehsil-Waraseoni, District-Balaghat (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 675वीं बैठक दिनांक 08/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 352 मीटर पर नहर पर (एक्वाडक्ट) एवं 610 मीटर पर एक पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ. प्र. (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम मिलन पाठक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज खनिज निरीक्षक श्री सुरेश कुलस्ते भी उपस्थित रहे।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान चंदन नदी में स्थित है, जिसमें खदान क्षेत्र से अपस्ट्रीम में 352 मीटर पर नहर (एक्वाडक्ट) स्थित है। 133 मी लंबा ब्रिज /पाईपलाईन है, जो मेजर श्रेणी का आता है।
- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया एवं पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति दी जा सकती है। चूँकी खनन् क्षेत्र सीमा से निकटतम 342 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 7326/2020) में दिनांक 19/08/2020 को रेत की मात्रा 27702 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति सिया द्वारा जारी की गई थी। डीएसआर अनुसार उत्पदान क्षमता माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–36,000घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 17492 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 17492 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 16000 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की 675वीं बैठक दिनांक 08/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

- **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.**

डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।

8. Case No 10622/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Ajitpur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (11400 cum per year) (Khasra No. 656), Village-Ajitpur, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के **सरल क्रमांक–16 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान केन नदी पर ग्राम Ajitpur के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 11,400 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 8110/2021) में दिनांक 10/5/2023 को रेत की मात्रा 22000 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की गई थी। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डीएस आर गहराई 3.0 मी. माइनिंग प्लान में 1.5 मी दर्शायी गई है। अतः डीएसआर मे दी गई रेत की गहराई गलत है, उपरोक्त संदर्भ में माईनिंग अफसर डीएसआर में संशोधन कर प्रस्तुत करे। खनिज अधिकारी द्वारा संशोधित डीएसआर सिया में प्रस्तुत करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जावे ।

समिति द्वारा खदान से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा सीईआर प्रस्ताव का परीक्षण कर निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.85 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक शाला नीबीखेड़ा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	20,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	800
2	ग्राम अजीतपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– जिला माईनिंग अधिकारी उपरोक्तानुसार डीएसआर में आवश्यक संशोधन कर सिया के समक्ष प्रस्तुत करगें।

9. Case No 10623/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Didol Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 818), Village-Didol, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के **सरल क्रमांक–46 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान तरपेड़ नदी पर ग्राम Didol के निकट 2.50 हे. क्षेत्रफल पर 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 585 मी पर एक रोड ब्रिज है जिसकी लंबाई 80 मी. है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 9846/2023) में ईसी आईडेन्टीफिकेशन न. 23 बी–001/एमपी–173375 दिनांक 18/05/2023 द्वारा दी गई को रेत की मात्रा 10000 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की गई थी। डीएसआर में 45000 का पोटेन्शियल मात्रा दी गई है, जिसके विरूद्ध 5000 मात्रा की मांग की गई है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 5000 की स्वीकृति दी जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–5,000

घनमीटर/वर्ष हेतु निम्न लिखित शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.98 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय भानपुरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	300
2	ग्राम दिदोल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2700

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं

रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10621/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Digoni Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (8700 cum per year) (Khasra No. 971, 1011), Village-Digoni, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के **सरल कमांक–33 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान उर्मिल नदी पर ग्राम Digoni के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 8700 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान क्षेत्र के के उत्तर दिशा में एक बडी जल संरक्षण संरचना हैं जिसकी लंबाई 113 मी है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। अतः 1 कि.मी की जगह 500 मी. का सेट बेक देने का निर्णय लिया गया इस प्रकरण में कुल मांग डीएसआर के अवलोकन पर खदान का क्षेत्रफल 4.0 हे. गहराई 3.0 मी ली गई है पोटेन्शियल 1,20,000 हजार आता है लेकीन माईनिंग प्लान में

गहराई 0.5 मी. दी गई है पीपी द्वारा बताया गया कि रेत खनन की मात्रा का प्रस्ताव स्वीकृत माईनिंग प्लान द्वारा किया गया है।

- पूर्व में इसी प्रकरण को क्रमांक 6893/2018 द्वारा पत्र क्रमांक 264/सिया/2022 29/4/2022 ईसी जारी हुई है।
- प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डीएसआर मे दी गई रेत की गहराई एवं माईनप्लान की गहराई में अंतर है, अतः जिला माईनिंग अधिकारी उपरोक्तानुसार डीएसआर में आवश्यक संशोधन कर सिया के समक्ष प्रस्तुत करगें।

समिति द्वारा खदान से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा सीईआर प्रस्ताव का परीक्षण कर निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.93 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए माध्यमिक विद्यालय बारा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	15,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1200
2	ग्राम दिगोनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को

प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– जिला माईनिंग अधिकारी उपरोक्तानुसार डीएसआर में आवश्यक संशोधन कर सिया के समक्ष प्रस्तुत करगें।

11. Case No 10625/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Narayanpura Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 89, 658), Village-Narayapura, Tehsil-Bijawar, District-Chhatarpur (MP).

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के **सरल क्रमांक–43 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान बड़ी नदी (कसार नदी) नदी पर ग्राम Narayanpura के निकट 2.00 हे. क्षेत्रफल पर 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी. एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 74 मी पर एक ब्रिज है 250 सेटबेक देने के बाद उत्पादन मात्रा 12960 आती है जिसकी मांग परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांग की गई एवं खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत भवन है इसलिये सेटबेक 50 मी दिया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डीएसआर मे दी गई रेत की गहराई एवं माईनप्लान की गहराई में अंतर है, अतः माईनिंग अफसर संशोधित डीएसआर प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.85 लाख प्रति वर्ष ।

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, सिग्रम्पुरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	20,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	500
2	ग्राम नारायणपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1900

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No 10624/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Rampur Sand Quarry in an area of 3.10 ha. (7500 cum per year) (Khasra No. 306/1), Village-Rampur, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के **सरल कमांक–1 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान कैल नदी पर ग्राम Rampur के निकट 3.10 हे. क्षेत्रफल पर 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 418 मी पर एक ब्रिज है जिसकी लंबाई 80 मी. है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

वर्तमान में 7500 उत्पादन के लिये प्रस्ताव दिया गया है। समिति ने पाया कि पूर्व में इसी खदान की ईसी पत्र कमांक 366/ सिया/22 दिनांक 10/05/2022 में रेत की मात्रा 10000 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की गई थी। अतः समिति द्वारा 7500 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये अनुशांसा की जाती है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डीएसआर मे दी गई रेत की गहराई एवं माईनप्लान की गहराई में अंतर है, अतः माईनिंग अफसर संशोधित डीएसआर प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–7500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया**

जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.76 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय मध्यमिक पाठशाला, जरेंहता कला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	15,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3720 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	120
2	ग्राम रामपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10247/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhonga Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (16080 cum per year) (Khasra No. 971), Village- Dhoga, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 475 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ए.के.राय, खनिज अधिकारी, सिंगरौली ऑनलाईन समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रकरण का परिक्षण

- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र से लगभग 475 मी पर एक मेजर रोड ब्रिज है एवं खदान से अपस्टीम पर लगभग 182 मी. लंबा एक मेजर ब्रिज है।
- **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण इसी प्रकरण (क्रमांक 2149/2014) में दिनांक 30/06/2015 को 5.50 हे. क्षेत्र के लिये, रेत की मात्रा 161700 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा

16080 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा **16080** घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

- माईनिंग अफसर द्वारा पुल के संबंध में एक्सपर्ट विवरण सिया के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिये गये पत्र क्रमांक 3463/खनिज/रेत/पर्यावरण अनुमति/2023 सिंगरौली, 03/10/2023 पर सिया के स्तर पर अनुशांसा की जाना प्रस्तावित है।
- श्री ए.के.राय, खनिज अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3461 दिनांक 03/10/2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र से 475 मी पर जो मेजर पक्का रोड ब्रिज है, पक्का रोड ब्रिज पर कोई प्रतिकुल प्रभाव न पडे इसके लिये लोक निर्माण विभाग सिंगरौली से स्पष्ट अभिमत 07 दिन की समय सीमा में प्राप्त करने के लिये पत्र लिखा गया है।

समिति ने पाया कि सेक की 676 वीं बैठक दिनांक 11/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.60 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ढोंगा के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च	30,000

की जाएगी।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम ढोंगा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 10296/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chakuwar Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (21178 cum per year) (Khasra No. 135/219), Village-Chakuwar, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 512 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

686वीं–पार्ट–2 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2023

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ए.के.राय, खनिज अधिकारी, सिंगरौली ऑनलाईन समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रकरण का परिक्षण

- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान महान नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 423 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 0.696 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.80 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
- समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 504 मी पर एक रोड ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है एवं ब्रिज की लंबाई लगभग 282 मी. है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण क्रमांक 7156 /2020 को दिनांक पत्र क्रमांक 1041/सिया /2020 दिनांक 18/06/2020 को 2.0 हे. क्षेत्र के लिये, रेत की मात्रा 52071 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा **21178** घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा **21178** घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।
- माईनिंग अफसर द्वारा पुल के संबंध में एक्सपर्ट विवरण सिया के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिये गये पत्र क्रमांक 3461/खनिज/रेत/पर्यावरण अनुमति/2023 सिंगरौली, 03/10/2023 पर सिया के स्तर पर अनुशांसा की जाना प्रस्तावित है।
- श्री ए.के.राय, खनिज अधिकारी, सिंगरौली के द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र से 512 मी पर जो मेजर पक्का रोड ब्रिज है, पक्का रोड ब्रिज पर कोई प्रतिकुल प्रभाव न पडे इसके लिये लोक निर्माण विभाग सिंगरौली से स्पष्ट अभिमत 07 दिन की समय सीमा में प्राप्त करने के लिये पत्र लिखा गया है।

समिति ने पाया कि सेक की 676 वीं बैठक दिनांक 11/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसे निम्न शर्त के साथ यथावत रखने का निर्णय लिया है ।

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.39 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अग्रलिखित धनराशि शासकीय हाई स्कूल अतारवा के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	400
	ग्राम चाकुवार के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं

रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No 10619/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Guwadi Sand Mine in an area of 2.50 ha. (42000 cum per year) (Khasra No. 19), Village-Gowadi, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक–15 के सरल क्रमांक–37 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान नदी पर ग्राम Guwadi के निकट 2.50 हे. क्षेत्रफल पर 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–42,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.02 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.60 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.21 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	21,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	500
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	750
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	750
2	ग्राम गुवाड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. <u>Case No 10620/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Tangnamal Sand Mine in an area of 4.00 ha. (25200 cum per year) (Khasra No. 209), Village-Tangna, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **कमांक–52 के सरल कमांक–34 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान मोरण्ड नदी पर ग्राम Tangnamal के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–25,200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.75 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.17 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	17,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1000
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर	1000

		प्रति पौधा(	
		6पंक्ति –अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	1200
2	ग्राम तंगनामल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1600

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. <u>Case No 10207/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Rahedkot Sand Quarry in an area of 4.665 ha. (1400 cum per year) (Khasra No. 2/16, 2/17, 2/14), Village-Rahadkot, Tehsil-Thikri, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर खदान क्षेत्र का एक पार्ट अपलोड़ किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान दर्शाया गया खदान क्षेत्र को तीन भागो में दिखाया गया है । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को खदान वास्तविक के.एम.एल. पोर्टल पर अपलोड़ करने के निर्देश दिये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–1400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.16 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.30 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3–1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4–5 पंक्ति– कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति– अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100

2	ग्राम रहेत कोट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. <u>Case No 10210/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Jahur Sand Deposit in an area of 1.36 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 205, 136), Village-Jahur, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में दो भागों में दिखाया गया जबकि परिवेश पोर्टल पर खदान क्षेत्र का एक ही भाग अपलोड किया गया हैं। अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र के को–आर्डिनेट पुनरीक्षित कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान की गूगल अर्थ ईमेज समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन

प्राप्त किया जाये। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके पुर्नभरण एवं सतत् बहाव तथा नदी तट का संरक्षण भी नहीं। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान सुसरी नदी में मियन्डर पर स्थित है, तथा 02 भागों में विभक्त है। समिति द्वारा परीक्षण दौरान पाया कि पूर्व दिशा में 72 मी अपस्टीम में रोड ब्रिज स्थित हाने के कारण 250 मी. सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–
4.

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं	100

	से 1 से 6 पंक्तियों में(	स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम रहेत कोट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. <u>Case No 10208/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Palsud Naveen Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 1007), Village-Palsud, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 672वीं आज दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान गोई नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी मे डूबा हुआ है एंव पक्का मेजर रोड ब्रिज एस.एच.–39 पश्चिम दिशा में स्थित है ब्रिज का स्पान लगभग 160 मी है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक **द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–1200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत** प्रभाव **न पड़े।**

अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3–1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4–5 पंक्ति– कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति– अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	300
2	ग्राम पलसूद नवीन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No 10216/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Jahur Sand Deposit in an area of 1.36 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 205, 136), Village-Jahur, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।
- ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 710 मी पर पक्का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 210 मी लंबाई हैं। **Enforcement and** Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.62 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/	5,000/-

में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	300
2	ग्राम पाटी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 10189/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Dondwada Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (12500 cum per year) (Khasra No. 705), Village-Dondwara, Tehsil- Niwali, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगभग 200 मी पर पक्का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 70 मी लंबाई हैं। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 19–20 12570 घन मीटर उत्पादन हुआ था

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।**

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.82 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.59 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	10,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	200
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	200
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	600
2	ग्राम दोंदवाड़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार	1000

		वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. <u>Case No 10320/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Sajanpur-2 Sand Deposit in an area of 2.50 ha. (25500 cum per year) (Khasra No. 513), Village- Sajanpur-2 Tehsil- Katthiwada, District-Alirajpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 252 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।
प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान ओरसंग नदी में स्थित है एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र से 252 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है कि मेजर श्रेणी का है।

अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी से सबंधित विभाग से ब्रिज के संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से तकनीकी अभिमत प्राप्त करें जिसमें रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

23. <u>Case No 10194/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Nisarpur Sand Deposit in an area of 3.205 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 190), Village-Nisarpur, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश (खदान क्षेत्र के आक्षांश देशांस की संख्या बढाते हुए) एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में लगभग 140 मी पर पक्का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मी लंबाई हैं। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 19–20 12570 घन मीटर उत्पादन हुआ था

परियोजना **प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम निशारपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No 10209/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Khajuri Naveen Sand Deposit in an area of 1.344 ha. (600 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Khajuri, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 672वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश (खदान क्षेत्र के आक्षांश देशांस की संख्या बढाते हुए) एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में लगभग 70 मी पर स्टाप डेम अप स्टीम में स्थित है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक **द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार

स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	5,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3–1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4–5 पंक्ति– कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति– अगय, सीताफल, करंज, जामुन,	100

		कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	
2	ग्राम खजूरी नवीन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

25. <u>Case No 10321/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Sajanpur-1 Sand Deposit in an area of 1.50 ha. (13000 cum per year) (Khasra No. 513), Village- Sajanpur-1, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान ओरसंग नदी में स्थित है एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र से 500 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है कि मेजर श्रेणी का है।

अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी से सबंधित विभाग से ब्रिज के संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से तकनीकी अभिमत प्राप्त करें जिसमें रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

26. Case No 10214/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Padla Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Padala, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।
- ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में खदान से लगा हुआ एक रोड ब्रिज/स्टाप डेम है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत** की **गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी** अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. **परियो**जना **प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम पाडला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे

ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No 10215/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Koydiya Sand Deposit in an area of 3.023 ha. (800 cum per year) (Khasra No. 47), Village-Koyadiya, Tehsil-Anjad, District-Barwani (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में तीन भागों में दिखाया गया जबकि परिवेश पोर्टल पर खदान क्षेत्र का एक ही भाग अपलोड किया गया हैं। अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र के को–आर्डिनेट पुनरीक्षित कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान की गूगल अर्थ ईमेज समिति के समक्ष पुनरीक्षित प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये। समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा, साथ ही ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें उसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित

जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान 03 हिस्से में विभक्त है। पूर्व दिशा के भाग में लगभग 100 मी. पर मध्यम श्रेणी का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 50 मी का है पश्चिम दिशा की ओर 02 खनन क्षेत्र के बीच में मध्यम श्रेणी का रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 75 मी का है, बीच वाला हिस्सा खनन योगय नही है इन संरचनाओ से पूर्व दिशा में ब्रिज से 250 मी सेट बेक प्रस्तावित किया गया है, तथा है स्टाप डेम से 500 सेट बेक प्रस्तावित किया गया हैं। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 800 घनमीटर की स्वीकृति दी जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100

		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम कोइडीया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. <u>Case No 10251/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Morgun Sand Deposit in an area of 4.346 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 76/1), Village- Morgun, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के दोनों ओर पक्के ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना, डिप्टी जनरल मेनेजर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के खनन क्षेत्र के उत्तर में पर लगभग 142 मी. पर रोड ब्रिज है एवं लगभग 213 मी. पर स्टाप डेम है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

ब्रिज से 250 मी सेट बेक प्रस्तावित किया गया है, स्टाप डेम से 500 सेट बेक प्रस्तावित किया गया हैं। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 500 घनमीटर की स्वीकृति दी जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम मोर्गुन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. <u>Case No 10213/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Semli (Khajpur) Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 489), Village-Semli, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र को गूगल अर्थ मेप में के आधार पर प्रस्तावित के खदान की के.एम.एल ईमेज प्रकरण क्रमांक 10216 खदान के

साथ ओव्हर लेप होना परिलक्षित है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से खदान के प्रमाणित अक्षांश–देशांस प्रस्तुत करें, जिससे परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.62 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी |	10,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन,	300

		कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	
2	ग्राम सेमली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. <u>Case No 10211/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Mujala (Bhulgaon) Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (700 cum per year) (Khasra No. 158/1), Village- Mujala Bhujala, Tehsil-Niwali, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- समिति ने यह भी पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो बजट दर्शाया गया है वह प्रोजक्ट केपिटल कास्ट के तुलना में काफी अधिक हैं। खनन् कार्य

अलाभकर होने की स्थिति में इसके निवर्हन की संभावना नहीं होगी, जिससे रेत पुर्नभरण भी नहीं होगा। अतः इसे भी तर्क संगत रूप से तैयार किया जायें, अन्यथा इनकी क्रियान्वयन संतोषजनक तरीके से नहीं हो पायेगा।

- साथ ही ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/10/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ,प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–700 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	5,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	100
		6 पंक्ति- अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम मुजला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. <u>Case No 10593/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Gandhigram Sand</u>

Mine in an area of 0.550 ha. (8019 cum per year) (Khasra No. 02), Village-Gandhigram, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 05/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल की अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **कमांक–51 के सरल कमांक–12 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान गांधीग्राम नदी पर ग्राम Gandhigram के निकट 0.55 हे. क्षेत्रफल पर 8019 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।
समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 110 मी पर एक मध्यम श्रेणी का रोड ब्रिज है ब्रिज है जिसकी लंबाई लगभग 57 मी. है परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेड गाईडलाईन 2020 के अनुसार निर्धारित सेटबेक 500 मी. छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत किया है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 8019 घनमीटर की स्वीकृति दी जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 8019 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	15,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	100
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	100
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम गांधीग्राम के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32. <u>Case No 10285/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for</u>

Gulidand Sand Mine in an area of 5.00 ha. (68400 cum per year) (Khasra No. 688), Village-Gulidand, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP)

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 115 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए ।

प्रकरण का परिक्षण

- समिति द्वारा प्रस्तावित खदान की अनुशंसा सेक की 677 वीं बैठक दिनांक 12/09/23 का की गई थी ।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि
यह खदान **केवई नदी** में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है एवं 115 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण को क्रम संख्या 7223/2020, पत्र क्रमांक 1142/सिया/20, दिनांक 19/06/2020 को रेत की मात्रा 150,000घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा **68400** घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा **68400** घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की सेक की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक सेक की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को निम्न शर्त के साथ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

686वीं–पार्ट–2 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 अक्टूबर 2023

1. **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी. डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय गुलिदांड़ के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1पंक्तियों में(	1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	1500
	ग्राम गुलिडांड के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को

प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No 10314/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kodli Sand Deposit in an area of 3.00 ha. (8100 cum per year) (Khasra No. 463), Village-Kodli, Tehsil-Alirajpur , District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान को समिति की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 375 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।
प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 05/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए ।

प्रकरण का परिक्षण

- समिति द्वारा प्रस्तावित खदान की अनुशंसा सेक की 677 वीं बैठक दिनांक 12/09/23 का की गई थी ।
- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह यह खदान सुखद नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 375 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। **Enforcement and Monitoring** ळनपकमसपदमे **for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने पर 1.8 हे. माईनेबल एरिया शेष बचता है। है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 8100 घनमीटर की स्वीकृति दी जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की सेक की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक सेक की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया

34. <u>Case No 10319/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Guda-1 Sand Deposit in an area of 1.50 ha. (2400 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Guda, Tehsil-Alirajpur , District-Alirajpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है ।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 506 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के आज दिनांक 05/10/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

- समिति द्वारा प्रस्तावित खदान की अनुशंसा सेक की 677 वीं बैठक दिनांक 12/09/23 का की गई थी ।
- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह यह खदान नाला में स्थित है। 506 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने पर 1.089 हे. माईनेबल एरिया शेष बचता है। है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की मांग पर 2400 घनमीटर की स्वीकृति दी जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की सेक की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक सेक की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

रेत खनन् के प्रकरणो में ईसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तो के क्रियान्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन् प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जायेः–

- विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी. सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

- **In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:**
  The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District Mining Office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

  1. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  2. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  3. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  4. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Monitoring Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
  5. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

6. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
7. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
8. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

- **संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, अलीराजपुर – रेत खनिज**

खनिज अधिकारी, अलीराजपुर ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 1220 दिनांक 05/10/2023 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खनिज प्रस्तुत की गई।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर ने अवगत कराया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में रेत समूह की 49 खदानें सम्मिलित थी। खनि निरीक्षण एवं सहायक मानचित्रकार द्वारा खदानों का भैतिक सत्यापन उपरांत 20 रेत खदानों में Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 . Para 4.3 (h) के अनुसार प्रतिबंधित दूरी छोडे जाने पर संबंधित खदान का प्रभावित रकबा एवं रेत मात्रा उपलब्ध नहीं होने से रेत खदानें पृथक की गई एवं 13 रेत खदानों में प्रतिबंधित दूरी छोडने पर रकबा व रेत उत्पादन मात्रा कम होना पाया गया है। 16 रेत खदानों में रेत उत्पादन मात्रा कम होना पाई गई है, कुल 29 रेत खदानों में खनन् योजना में संशोधन कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति जन सामान्य के सुझाव हेतु 21 दिवस की अवधि में प्राप्त किये जाने हेतु जिला कार्यालय कलेक्टर की वेब–साईट पर प्रदर्शित की गई है। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों को आवश्यक होने पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर गठित समिति के परीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सिया/ सेक को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावेगी। जिले में जिले की भौगोलिक स्थिति अनुसार रेत खदानों का रकबा व मात्रा संशोधन अनुसार सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया है।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि अलीराजपुर जिले की 13 रेत खदानों में प्रतिबंधित दूरी छोडने पर रकबा व रेत उत्पादन मात्रा कम होना पाया गया है एवं 16 रेत खदानों में रेत उत्पादन मात्रा कम होना पाई गई है, कुल 29 रेत खदानों में खनन् योजना में संशोधन कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य भी आया कि जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति जन सामान्य के सुझाव हेतु 21 दिवस हेतु कार्यालय कलेक्टर की वेब–साईट पर प्रदर्शित की गई है। अतः समिति का यह निर्णय है कि यदि निर्धारित अवधि में जन सामान्य के सुझाव/आपत्ति प्राप्त होती है तो सभी संबंधित सुझावों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समाहित कर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, समिति के समक्ष जिले के खनिज अधिकारी द्वारा पुनः प्रस्तुत की जावे।

जिले के खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्य जानकारी को समिति द्वारा मान्य किया गया एंव समिति ने निर्णय लिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– अलीराजपुर रेत खनिज (संशोधित) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुशंसित उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

• संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, बडवानी – रेत खनिज

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/ श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2315 दिनांक 26/09/23 द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 06 खदानों के नवीन अक्षांश–देशांश प्राप्त किये गये किये गये है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस।के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई । **अतः समिति ने श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक, बडवानी को निर्देश दिया कि संशोधित डी.एस.आर. तैयार कर पुनः समिति के समक्ष हार्ड कॉपी में (02 प्रतियों में) खनिज अधिकरी /खनिज निरीक्षक समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।**

(चंद्र मोहन ठाकुर)	**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम उतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

|